न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–57 / 2019 (जीसीएमएस नं. 2019 / 00045)

1. पांची देवी पुत्री श्री छोट्या जाति मीना निवासी ग्राम बडनगर, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

---अपीलान्ट

बनाम

1. भागीरथमल पुत्र किशनलाल (फौत)
   1 / 1. ग्यारसी देवी पत्नी स्व. श्री भागीरथमल जाति मीना निवासी ग्राम बडनगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
   1 / 2. पप्पू पुत्र स्व. श्री भागीरथमल, जाति जाति मीना निवासी ग्राम बडनगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
   1 / 3. पूरण पुत्र स्व. श्री भागीरथमल जाति जाति मीना निवासी ग्राम बडनगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
   1 / 4. मामराज पुत्र स्व. श्री भागीरथमल जाति जाति मीना निवासी ग्राम बडनगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
   1 / 5. माली पुत्री स्व. श्री भागीरथमल पत्नि कंचन जाति मीना निवासी ग्राम मनफर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
   1 / 6. सजना पुत्री स्व. श्री भागीरथमल पत्नी हंसराज, जाति मीना निवासी ग्राम मनफर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
   1 / 7. सुमन पुत्री स्व. श्री भागीरथमल पत्नी सुभाष, जाति मिना निवासी ग्राम मनफर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत बडनगर जरिये सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत बड़नगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
4. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बड़नगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

--- रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 25.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर के आदेश दिनांक 05.02.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीया द्वारा अधीनस्थ के समक्ष अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 651 दिनांक 09.08.1995 के विरूद्ध पेश कर कथन किया था कि खसरा नम्बर 3177 रकबा 0.86 हैक्टयर वाके मौजा बड़नगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर का खातेदार अपीलान्ट का पिता स्व. छोट्या पुत्र मांग्या थे तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलान्ट बतौर खातेदार काश्तकार उक्त आराजी पर काबिज हुई तथा आज भी मौके पर अपीलान्ट का ही

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

काबिज काश्त है, अपीलान्ट के पिता छोट्या के चचरे भाई का लड़का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भागीरथमल जो कभी–कभार अपीलान्ट के पिता के घर आता–जाता रहता था तथा उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने फर्जी गोदनामा तैयार करवाकर अपीलान्ट के पिता की मृत्यु उपरान्त पटवारी एवं सरपंच से बाजबाज कर अपीलान्ट के पिता की भूमि का फौतगी का नामन्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया, अपीलान्ट एक पर्दानशीन अनपढ और ग्रामीण महिला है इसलिये अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण के बाबत कोई जानकारी नही थी, अब अपीलार्थीया अपनी भूमि पर लोन वास्ते पटवारी हल्का से मिली तथा जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो अपीलान्ट को पता चला कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने खसरा नमबर 3177 वाके मौजा बड़नगर की जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज करवा रखा है, इस पर अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिली तथा कहा कि तुमने अपना नाम फर्जकारी करके मेरे पिता की भूमि में दर्ज करवा लिया है उसे चलकर दुरूस्त करवाओं तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 साफ इन्कार हो गया, इस पर अपीलान्ट अपने वकील से मिली तथा वकील साहब की सलाह पर पटवार हल्का से जमाबन्दी व नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बना कतई विधि विधान व न्यायिक प्रक्रिया एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल, परवर्स अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.02.2019 पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत बड़नगर के समक्ष अपीलार्थी के पिता द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनाम नही था जिसकी पुष्टि प्रश्नाधीन नामान्तरकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से स्पष्ट होती है तथा कथित ग्राम का गोदनामे की लिखावत होना प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 25.07.1995 का अंकन का कानूनन कोई महत्व नही है इस प्रकार रजिस्टर्ड गोदनामा/दस्तावेज के अभाव में स्वीकृत प्रश्नाधीन नामान्तरकरण संख्या 651 क्षेत्राधिकार विहिन व विधि विरूद्ध है तथा उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा अपने में निहित क्षेत्राधिकार के विरूद्ध पारित किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.02.2019 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रश्नाधीन नामान्तरकरण में अंकित आराजी खसरा नम्बर 3177 रकबा 0.86 हैक्टयर के खातेदार काश्तकार अपीलार्थीया के पिता छोट्या पुत्र मांग्या जाति मीना थे जिनके स्वर्गवास पर अपीलार्थीया ही एकमात्र जीवित वारिस थी क्योंकि अपीलार्थीया की माता का स्वर्गवास पूर्व में हो गया था किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वयं को मृतक छोट्या पुत्र मांग्या का दत्तक पुत्र बताते हुए सरपंच ग्राम पंचायत से नामान्तरकरण अपने स्वयं के नाम तस्दीक करवा लिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भागीरथमल को मृतक खातेदार छोट्या एवं उसकी पत्नी ने कभी भी गोद नही लिया, और ना ही गोदनामा पंजीकृत हुआ, उक्त तथाकथित ग्राम का गोदनामा अंकित करते हुये प्रश्नाधीन नामन्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्तनीय था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2019 पारित किया गया है जो विधि विरूिद्ध होने से निरस्तनीय है।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रश्नाधीन नामान्तरकरण संख्या 651 के खातेदार छोट्या पुत्र मांग्या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है बल्कि पुराना शास्त्रिक हिन्दू लॉ लागू होता है मुल्ला हिन्दू विधि के अनुसार मृतक खातेदार के पुत्र व पत्नी की अनुपस्थिति में पुत्री उसकी उत्तराधिकारी है, जिस कारण अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर उत्तराधिकार के सम्बन्ध में ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू होते है तथा प्रश्नाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करते समय मृतक छोट्या के कोई जीवित पुत्र नही था उसकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया ही एकमात्र उत्तराधिकारी थी किन्तु सरपंच द्वारा अपीलार्थीया के हक में नामान्तरकरण तस्दीक नही कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में बिना किसी रजिस्टर्ड दस्तावेजी साक्ष्य के नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो गैर कानूनी है एवं निरस्तनीय था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2019 पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने असम्यक लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य से स्वयं के नाम में छोट्या की वल्दियत अंकित करते हुए राशन कार्ड, बिजली के बिल, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची मे अंकत करवा लिया गये है किन्तु उक्त गलत वल्दियत अंकन करवाने से कानूनन अपीलार्थी के हक व अधिकार प्रभावित नही होते है, लेकिन उक्त कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2019 पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.02.2019 एवं नामान्तरकरण संख्या 651 दिनांक 09.08.1995 को निरस्त फरमाया जावें तथा तहसीलदार कोटपूतली को आदेशित किया जावें कि मृतक छोट्या की विरासत का नामान्तरकरण अपीलार्थीया के नाम तस्दीक करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 छोट्या का दत्तक पुत्र है जिसका गोदनामा भी विधिक रूप से तस्दीक करवाया गया था एवं तहसीलदार कोटपूतली ने भी अपने निर्णय दिनांक 06.10.2015 के बउनवानी प्रकरण रामजीलाल बनाम भागीरथ, मुकदमा नम्बा 2/14 एवं 17/12 में किया गया है जिसमें तहसीदार कोटपूतली ने भी सम्पूर्ण तथ्यों की सुनवाई करते हुये अपीलान्ट को समुचित अवसर देते हुए ही रेस्पोडन्ट संख्या 1 को छोट्या का दत्तक पुत्र माना है। ऐसी स्थिति में उक्त वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का कोई ताल्लूक वास्ता नही है, ना ही अपीलान्ट मृत्तक छोट्या की लडकी है एवं अपीलान्ट शादीशुदा मीना समुदाय से अनुसूचित जनजाति की है जिसे पैतृक सम्पत्ति में कभी भी कोई हिस्सा कानूनी रूप से प्राप्त नही हो सकता है इसके सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में न्यायाधिपति श्री

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आर.एस. चौहान ने एस.बी.सिविल द्वितीय अपील नम्बर 137 से 142 सन् 2013 बनवानी श्रीमति भोली बनाम चन्दा वगैरह निर्णय दिनांक 07.04.2014 को निर्णित किया है कि मीना समुदाय की विवाहित महिला होने पर अपने पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नही होता है, इस प्रकार से अपीलान्ट की अपील प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार कोटपूतली ने अपने निर्णय दिनांक 06.10.2015 में मौखिक साक्ष्य एवं बयानादि एवं अन्य दस्तावेजात यथा राश्न कार्ड, बिजली के बिल तथा विधान सभा निर्वाचन नामावली भाग संख्या 115 के क्रम संख्या 253 पर सन् 1980 में भागीरथ के पिता का नाम छोटू अंकित होने से उसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भागीरथ को छोट्या पुत्र मांग्या मीना के गोद जाना साबित माना है। चूँकि नामान्तरकरण संख्या 651 दिनांक 09.08.1995 को रेस्पोडेन्ट के नाम स्वीकार किया गया है जबकि मतदाता सूची भाग 115 के क्रम संख्या 253 पर सन् 1980 में ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भागीरथ के पिता का नाम छोटू अंकित है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के खातेदार छोट्या पुत्र मांग्या का दत्तक पुत्र प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्या के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा प्रकरण का विधिक प्रक्रिया से परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2019 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2019 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।